पत्रांक 15/पी 5–27/2018
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, (बि0प्र0से0)
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत ए0एम0 कॉलेज, गया अन्तर्गत सेमिनार एवं सम्मेलन भवन के निर्माण हेतु रू0 1,23,24,000/– (एक करोड़ तेइस लाख चौबीस हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत ए0एम0 कॉलेज, गया अन्तर्गत सेमिनार एवं सम्मेलन भवन के निर्माण हेतु रू0 1,23,24,000/– (एक करोड़ तेइस लाख चौबीस हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा ए0एम0 कॉलेज, गया अन्तर्गत सेमिनार एवं सम्मेलन भवन के निर्माण हेतु रू0 1,23,24,000/– (एक करोड़ तेइस लाख चौबीस हजार) मात्र प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित उपलब्ध कराया गया है।

3. राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन से निकासी कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी0एल0 खाते में राशि का अन्तरण, अन्तरण जमा के द्वारा किया जाएगा। स्वीकृत राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवता की पूरी जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी की होगी तथा शिकायत प्राप्त होने पर विभाग समूचित कार्रवाई करेगा ।

5. स्वीकृत होने वाली राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष– 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 21-2202031020115, विषय शीर्ष 0115. 31. 05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जाएगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5–27/2018 में दिनांक 29.01.2019 को पृष्ठ 05/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

11. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अरशद फिरेाज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–27/2018 114 पटना, दिनाक 1/2/2019

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/प्राचार्य, ए0एम0 कॉलेज, गया/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05, 14 एवं 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/1/19
(अरशद फिरेाज)
सरकार के उप सचिव